कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तमिलनाडु राज्य में कितने नये कारखानों को स्टेनलैस स्टील के लिए आयात लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत मिली है कि इन कारखानों में से कई कारखाने माल तैयार न करके अपने कोटे को चोर बाजार में बेच देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच कराई है, और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) अप्रैल, 68—मार्च, 1969 की अवधि में तमिलनाडु के लघु पैमाने के क्षेत्र के 163 नये एककों को स्टेनलैस स्टील के आयात के लिए लाइसेंस दिए गये ।

(ख) तमिलनाडु के उन नये एककों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें आयात लाइसेंस देने के लिए सिफारिश की गई थी ।

(ग) मामले की जांच चल रही है और इसके पूरा न होने तक बाकी आवेदन-पत्रों पर कोई लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

संकटग्रस्त कपड़ा मिल

*223. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य-वार कितनी संकटग्रस्त कपड़ा मिलें हैं ;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अब तक कितनी कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लिया है; और

(घ) शेष मिलों में, जिनमें संकट आया हुआ है, स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जिन दो मिलों के मामले में राज्य वस्त्र निगमों को प्राधिकृत नियंत्रकों के रूप में नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम उन मिलों को चलाने के लिये अपेक्षित धन का 51 प्र० श० तक प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है ।

(घ) सूती वस्त्र समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) अधिनियम, 1967 के अधीन कार्यवाही पूरी हो जाने पर उन मिलों के राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकार में आ जाने के पश्चात, जिनके लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जा चुके हैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम उनका आधुनिकीकरण करवायेगा । ऐसी मिलों का, जिनका प्रबन्ध वस्त्र उद्योग अथवा लोक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक हो, प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले लेगी बशर्ते समुचित पूंजी लगाने के पश्चात् वे विकासक्षम एककों के रूप में चलाई जा सकती हों । सरकार उपयुक्त मामलों में पेशगियों तथा अवधि-ऋणों के मार्जिन कम करने का, जिनके लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को अनुदेश दिये जा चुके है, लाभ उठाने के लिए मिलों की सहायता भी करेगा । कतिपय अन्य उपाय भी सरकार के विचाराधीन हैं ।